

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

76

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

12016

P-3973-II-16

1. देविका तिवारी उर्फ सुमई पुत्री रामशस्त्रा पाण्डेय, पत्नी श्री जगन्नाथ तिवारी, साकिन सरदा तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)
2. छेहगी उर्फ लोलरिया पुत्री रामशस्त्रा पाण्डेय, निवासी कसिहवा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)


---आवेदकगण

विरुद्ध


1. ददीराम पुत्र कामताराम,
2. रामखेलावन पुत्र कामताराम,
3. ब्रजभूषण पुत्र कामताराम,
4. जगन्नाथ पुत्र कामताराम, समस्त निवासीगण- ग्राम सतनरा कोठर एवं बटोली तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

---असल अनावेदकगण

श्री विनायक भागवत कर्ण
द्वारा बाबत दि 28-11-16 को
प्रस्तुत


28-11-16
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

607
28-11-16


विनायक भागवत
ज्वालियर
28-11-2016

न्यायालय तहसीलदार, तहसील गोपदबनास जिला सीधी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 21/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15/11/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण



R 3973-0/13 सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभियंता आदि के हस्ताक्षर
14.12.2016	<p>आवेदनपत्र की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभियंताक उपस्थिति में तहसिल के प्रकाश सशम ग्रामावास में प्रस्तुत कर्तव्य हेतु वापिस किया जाता है। प्रकाश सशम ग्रामावास में प्रस्तुत कर्तव्य तदनुसार व्यवस्था बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p><i>(Handwritten signature)</i> अध्यक्ष</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p>